



27 July, 2024

## चराईदेओ मोइदमस

**संदर्भ:** हाल ही में असम के चराईदेव मोइदमस नामक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।

### ऐतिहासिक महत्व:

- चराईदेव मोइदमस अहोम वंश के शाही कब्रगाह स्थल हैं, जिन्होंने 1228 से 1826 ईस्वी तक असम और उत्तर पूर्व पर शासन किया था।
- पूर्वी असम के शिवसागर शहर से लगभग 30 किमी दूर स्थित इन दफन स्थल (टीलों) को स्थानीय लोग आज भी पवित्र मानते हैं।

### मोइदम के बारे में -

- मोइदम एक टीला है, जो अहोम राजघराने और अभिजात वर्ग की कब्र के ऊपर बनाया जाता है।
- चराईदेव में विशेष रूप से अहोम राजघरानों के मोइदम पाए जाते हैं, जबकि अन्य मोइदम पूर्वी असम में जोरहाट और डिब्रूगढ़ के बीच पाए जाते हैं।
- प्रत्येक मोइदम में आमतौर पर एक तिजोरी में एक या एक से अधिक कक्ष होते हैं, जिसके ऊपर घास से ढका एक अर्धगोलाकार टीला और एक मंडप होता है जिसे चाउ चाली कहा जाता है। यह एक छोटी अष्टकोणीय दीवार टीले को एक ही प्रवेश द्वार से घेरती है।
- अहोम दफन प्रथाओं में मृतक को उसके बाद के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, जिसमें नौकर, घोड़े, पशुधन और कभी-कभी पत्नियाँ शामिल होती थीं। इस मोइदम की तुलना "असम के पिरामिड" से की जाती है।

### चराईदेव का महत्व:-

- चराईदेव नाम ताई अहोम शब्दों से आया है: जहाँ "चे" (शहर या कस्बा), "राय" (चमकना), और "दोई" (पहाड़ी) है, जिसका अर्थ है "पहाड़ी की चोटी पर चमकता हुआ शहर"।
- 1253 ई. में राजा सुकफा द्वारा पहली राजधानी के रूप में स्थापित, चराईदेव पूरे अहोम शासन के दौरान शक्ति का प्रतीकात्मक और अनुष्ठान केंद्र बना रहा। 1856 में सुकफा को यहीं दफनाए जाने के बाद, यह बाद के राजघरानों के लिए पसंदीदा विश्राम स्थल बना रहा।
- यह स्थल अब 150 से अधिक मोइदमों के साथ एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, हालांकि यहाँ केवल 30 स्थल ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं और कई जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

### चराईदेव की अनन्य विशेषताएं:

- चराईदेव में मोइदमों का समूह अपने व्यापक पैमाने, संकेन्द्रण तथा पवित्र ताई-अहोम भूमि पर स्थित होने के कारण विशिष्ट है, जबकि पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में ऐसे स्थल नहीं हैं।

### अहोम साम्राज्य

- **स्थापना** : इसे 1228 में मोंग माओ से चाओलुंग सुकाफा द्वारा स्थापित किया गया था।
- **राजधानी** : यह प्रारंभ में चराईदेव, बुरहिडीहिंग और दिखाउ नदियों के बीच स्थित था।
- **विस्तार** : इस साम्राज्य ने बंगाल के शासकों और मुगलों के खिलाफ स्वयं का बचाव किया तथा मानस नदी तक विस्तार किया।



- **संस्कृति** : यह प्रारंभ में जनजातीय थे, बाद में हिंदू धर्म के साथ इनका एकीकरण हुआ, जो अपने प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते हैं।

### अहोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था -

- **पाइक प्रणाली**: सक्षम पुरुष, जिन्हें 'पाइक' कहा जाता था, राज्य की सेवा करते थे और उसकी सेना का हिस्सा बनते थे, बदले में उन्हें भूमि मिलती थी।
- **सिक्का-निर्माण** : 16वीं शताब्दी में सुक्लेनमुंग द्वारा शुरू किया गया तथा पाइक प्रणाली कायम रही।
- **राजस्व प्रणालियाँ** : मुगल क्षेत्रों में विस्तार से संपर्क द्वारा यह प्रणाली से प्रभावित थी।

### अहोम साम्राज्य का प्रशासन -

- **स्वर्गदेव सुकफा** : स्वर्गदेव सुकफा हर असमिया के लिए एकता, सुशासन और शौर्य का प्रतीक है, जिससे वह प्रेरणा ले सकें। महान राजा और अहोम वंश के संस्थापक ने बुद्धि, वीरता, दूरदर्शी और एकजुटता का एक दुर्लभ संयोजन प्रदर्शित किया जिसने उन्हें असम के अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनने में मदद की।
- **शाही अधिकारी**:
  - **बोरवारु** : यह सैन्य एवं न्यायिक मामलों का प्रमुख था।
  - **बोरफुकन** : यह सैन्य कमांडर और सूबेदार था, जिनमें लचित बोरफुकन सबसे प्रसिद्ध थे।
- **पत्र मंत्री** : यह पांच सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जो राजकीय मामलों पर राजा को सलाह देती थी।
- **पाइक अधिकारी**: सामान्य कार्यकर्ता पाइक थे, जो समूहों (गोट) में संगठित थे, प्रत्येक समूह का एक पाइक राजा को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता था, जबकि अन्य कृषि संबंधी कार्यों का प्रबंधन करते थे।
- **पतन** : 1800 के दशक में इन्हें आंतरिक विद्रोह और बर्मी आक्रमण का सामना करना पड़ा, 1826 में यंडाबो की संधि के तहत ब्रिटिश द्वारा यहाँ कब्जा कर लिया गया था।

## निजी विधेयक

**संदर्भ** : राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य करने संबंधी एक निजी विधेयक पेश किए जाने से राज्यसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

### परिभाषा एवं प्रक्रिया:

- एक निजी विधेयक संसद के किसी सदस्य (एमपी) द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं होता है।





27 July, 2024

- सांसद को विधेयक पेश करने से पहले एक महीने का नोटिस देना होगा, ताकि सदन का सचिवालय संवैधानिक प्रावधानों और विधायी नियमों के अनुपालन के लिए इसकी समीक्षा कर सके।
- निजी सदस्यों के विधेयकों पर केवल शुक्रवार को ही चर्चा की जाती है, जबकि सरकारी विधेयकों पर किसी भी दिन चर्चा की जा सकती है।
- यदि एक से अधिक विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, तो मतपत्र प्रणाली द्वारा उनके प्रस्तुतीकरण का क्रम निर्धारित किया जाता है।
- निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर संसदीय समिति इन विधेयकों की समीक्षा करती है तथा उनके वर्तमान प्रासंगिकता और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करती है।

#### ➤ सरकारी विधेयकों से तुलना:

- सरकारी विधेयक किसी भी दिन पेश किए जा सकते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है और इसके लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती। वे सरकार की नीतियों को दर्शाते हैं और उनकी पारित होने की विफलता सरकार की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।
- निजी सदस्यों के विधेयकों पर केवल शुक्रवार को चर्चा की जाती है और इसके लिए एक महीने का नोटिस देना पड़ता है। ये विधेयक किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं और इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर सरकार की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

#### ➤ निजी विधेयक के पारित होने की सफलता दर:

- 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी निजी विधेयक पारित नहीं किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, 14 निजी विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें से छह 1956 में पारित किए गए थे।
- 16वां लोकसभा के दौरान 999 निजी विधेयक प्रस्तुत किये गये, जो 2000 के बाद से सबसे अधिक संख्या है।

#### ➤ प्रारूपण और समीक्षा:

- किसी निजी सदस्य के विधेयक का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी उसे पेश करने वाले सदस्य की होती है। विधेयक को संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सभा सहायता प्रदान करती है।
- किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, राज्य सभा के सभापति द्वारा उसकी जांच की जा सकती है तथा संभवतः उसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

#### ➤ उदाहरण:

- बेरोजगारी भत्ता विधेयक का उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- बेरोजगार स्नातकों के लिए वित्तीय सहायता विधेयक का उद्देश्य बेरोजगार स्नातकों को सहायता प्रदान करना है।
- बेरोजगार युवा विधेयक 2019 युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों और बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है।

#### ➤ समिति का कार्य:

- निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति संसद द्वारा विचार किए जाने से पहले विधेयकों की समीक्षा करती है और उन्हें उचित ठहराती है।
- इसके द्वारा चर्चा और अन्य प्रक्रियात्मक विवरणों के लिए उपयुक्त समय की भी सिफारिश की जाती है।

#### ➤ सामान्य तथ्य:

- सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों को निजी सदस्य विधेयक पेश करने का अधिकार है।

- किसी निजी सदस्य के विधेयक को कानून बनने के लिए, उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।
- आमतौर पर सरकारी विधेयकों की तुलना में निजी सदस्य विधेयकों की सफलता दर कम होती है।

## अग्निपथ योजना

**संदर्भ:** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सैन्य भर्ती नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह नीति सशस्त्र बलों को पुनर्जीवित करने तथा उन्हें युद्ध के लिए निरंतर सक्षम रखने के लिए बनाई गई है।

#### ➤ अग्निपथ योजना का अवलोकन-

- **योजना विवरण :** अग्निपथ योजना, जिसे टू ऑफ ड्यूटी के रूप में भी जाना जाता है, 'अखिल भारतीय अखिल श्रेणी' दृष्टिकोण के माध्यम से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर सैनिकों की भर्ती करती है।
- **उद्देश्य :** सैन्य आधुनिकीकरण के लिए धन का पुनर्आबंटन करने हेतु वेतन और पेंशन में कटौती करना।
- **पात्रता :** 17.5 से 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
- **शैक्षिक आवश्यकताएं :** उम्मीदवारों को उनकी सेवा और भूमिका के आधार पर कक्षा 10-12 पूरी करनी होगी।
- **भर्ती प्रक्रिया :** केंद्र अग्निवीरों की भर्ती करेगा और भर्ती हर छह महीने में होगी।
- **महिला भर्ती :** महिलाओं की भर्ती उनकी संबंधित सेवाओं की आवश्यकताओं के आधार पर की जाएगी।
- **प्रशिक्षण :** प्रशिक्षण छह महीने तक चलता है, जिसके बाद अग्निवीर शेष साढ़े तीन साल तक सेवा करेंगे।
- **चयन प्रक्रिया :** एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली नामांकन का प्रबंधन करेगी, जिसमें चयन विशेष रूप से सशस्त्र बलों द्वारा किया जाएगा।
- **स्थायी नामांकन :** चार साल के बाद अग्निवीर स्थायी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25% तक का चयन नियमित कैडर के लिए किया जाएगा, जो कम से कम 15 साल और सेवा करेंगे।
- **पुनः रोजगार :** सेवा छोड़ने वाले शेष 75% लोगों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **पेंशन :** इस योजना के अंतर्गत कोई पेंशन या ग्रेच्युटी लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।
- **छूट :** रक्षा अधिकारी इस योजना से प्रभावित नहीं होंगे; वे शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) मॉडल का पालन करेंगे।
- **अग्निवीरों के लिए लाभ**
  - **वेतन :** अग्निवीरों को पहले वर्ष में 4.76 लाख रुपये से लेकर चौथे वर्ष में 6.92 लाख रुपये तक का वार्षिक पैकेज मिलेगा।
  - **भत्ते :** उन्हें वेतन के अतिरिक्त यात्रा और वर्दी के लिए भत्ते मिलेंगे।
  - **सम्मान और पुरस्कार :** अग्निवीर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सम्मान और पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।
  - **सेवा निधि :** वे अपने वेतन का 30% एक कोष में जमा करेंगे, जिसका सरकार द्वारा मिलान किया जाएगा। चार साल के अंत में, उन्हें ब्याज सहित एकमुश्त कर-मुक्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे।

## Face to Face Centres





27 July, 2024

- **छुट्टियाँ** : अग्निवीरों को 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी का अधिकार है, जिसमें चिकित्सा सलाह के आधार पर बीमारी की छुट्टी भी शामिल है।
- **बीमा** : उन्हें अपनी सेवा के दौरान 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्राप्त होगा।
- **अनिवार्य सैन्य सेवा से अंतर -**
  - अनिवार्य सैन्य सेवा (**Conscripting**) : इसमें अनिवार्य सैन्य सेवा शामिल है, जैसा कि इजरायल, नॉर्वे, उत्तर कोरिया और स्वीडन जैसे देशों में देखा जाता है।
  - **टूर ऑफ़ इयूटी** : यह अनिवार्य नहीं है; यह भारतीय युवाओं को दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बिना सैन्य जीवन का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है।
- **योजना की आवश्यकता**
  - **सैन्य अनुभव** : यह भारतीय जनसंख्या के एक बड़े भाग को सैन्य जीवन से परिचित कराने का व्यापक अवसर प्रदान करता है।

- **अनुशासित कार्यबल** : यह विविध कौशल के साथ एक अनुशासित कार्यबल बनाता है।
- **व्यापक दृष्टिकोण** : यह नियम-पालन व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और क्षेत्रीय और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को कम करता है, जबकि शारीरिक क्षमता में सुधार करता है।
- **आरक्षण** : प्रशिक्षित व्यक्ति राष्ट्रीय आपात स्थितियों में आरक्षित रूप में सेवा कर सकते हैं।
- **कार्मिकों की कमी को दूर करना** : इसका उद्देश्य अधिकारियों सहित सैन्य कार्मिकों की कमी से निपटना है।
- **रोजगार** : इस योजना के माध्यम से 40% कर्मियों की भर्ती करने के लक्ष्य के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना है।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (ASEAN) भारत की एक ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विज़न का मुख्य आधार है।

**आसियान के बारे में:**

- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (ASEAN) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसमें दस दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया।
- आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय" है।
- आसियान समुदाय तीन स्तंभों से बना है: आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय।
- संगठन का फोकस आर्थिक विकास में तेजी लाने, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ शांति, स्थिरता और विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मामलों में सहयोग बढ़ाने पर है।
- आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) आसियान सदस्य देशों और उनके साझेदारों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर संवाद और सहयोग का एक मंच है।
- आसियान का उद्गम 1961 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया संघ (ASA) के गठन से हुआ, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना था।
- आसियान की संस्थागत तंत्र में आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान समन्वय परिषद, आसियान सचिवालय, आसियान क्षेत्रीय मंच और परामर्श और सहमति के माध्यम से निर्णय लेना शामिल है।

### आसियान (ASEAN)



हाल ही में, यूनेस्को ने फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुरोध के बाद गाजा संघर्ष से "आसन्न खतरों" के कारण सेंट हिलारियन मठ को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया।

**सेंट हिलारियन मठ के बारे में:**

- सेंट हिलारियन मठ, जिसे टेल उम्म अमर के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- यह मठ मध्य पूर्व के सबसे पुराने और बड़े मठों में से एक है, जो चौथी शताब्दी का है।
- एशिया और अफ्रीका के बीच प्रमुख व्यापार और संचार मार्गों के चौराहे पर मठ का रणनीतिक स्थान इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान का केंद्र बनाता है।
- मठ 614 ईस्वी में भूकंप से नष्ट हो गया था और इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन 1999 में स्थानीय पुरातत्वविदों द्वारा इसे खोज निकाला गया।
- दिसंबर में, यूनेस्को ने मठ को "अनंतिम उन्नत संरक्षण" प्रदान किया, जो 1954 के हेग कन्वेंशन के तहत प्रतिरक्षा का उच्चतम स्तर है।
- गाजा में युद्ध के परिणामस्वरूप मठ को आसन्न खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमले के साथ हुई थी।

### सेंट हिलारियन मठ



## Face to Face Centres





27 July, 2024

## एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर (ADPC)



हाल ही में, भारत ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर (ADPC) की अध्यक्षता संभाली और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने बैंकॉक, थाईलैंड में चीन से ADPC की अध्यक्षता वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त की।

एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर के बारे में:

- एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर (ADPC) एशिया-प्रशांत में आपदा जोखिम में कमी और जलवायु लचीलापन बनाने के लिए सहयोग और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 1986 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (AIT) में एक क्षेत्रीय आपदा प्रिपेयरनेस सेंटर (DMC) के रूप में बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी।
- यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोगों और संस्थानों की आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लचीलापन बनाने का काम करता है।
- इसका पोर्टफोलियो आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) क्षमता निर्माण, शहरों और जलवायु परिवर्तन के लिए DRM में सुधार, राष्ट्रीय और स्थानीय विकास में DRM को मुख्यधारा बनाना, DRM सिस्टम में सुधार और आपदा जोखिम आकलन करने पर केंद्रित है।
- इसके अंतर्राष्ट्रीय चार्टर पर नौ संस्थापक सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
- चार्टर को सभी संस्थापक सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के माध्यम से 2018 में प्रभाव में लाया गया था।
- इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है।

## सुर्खियों में व्यक्तित्व

### ए. पी. जे. अब्दुल कलाम



राष्ट्र आज देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की 97वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (15 अक्टूबर 1931-27 जुलाई 2015)

- डॉ. अबुल पकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम, एक प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था।

योगदान:

- डॉ. कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV) और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1982 में, कलाम ने कई सफल मिसाइलों के विकास की देखरेख की, जिसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें शामिल थीं, जिससे उन्हें "भारत के मिसाइल मैन" की उपाधि मिली।
- वह 1998 में पोखरण में हुए देश के परमाणु परीक्षणों के प्रमुख व्यक्ति भी थे, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है।
- वह भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे, और उन्होंने यह पद बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के संभाला था।
- डॉ. कलाम ने "विंग्स ऑफ फायर," "इंडिया 2020," और "इनाइटेड माइंड्स" सहित कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखीं।

पुरस्कार और सम्मान:

- डॉ. कलाम को 1997 में भारत रत्न सहित कई पुरस्कार मिले।
- उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।

नैतिक मूल्य: ईमानदारी, अखंडता, करुणा, समर्पण, आदि।

## POINTS TO PONDER

- असम के किस 700 साल पुराने टीला-समाधि प्रणाली को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे यह भारत की 43वीं संपत्ति बन गई? – चराइदेव मोइडम्म
- राष्ट्रपति भवन किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 5 से 26 तारीख के बीच 250 चयनित उपहारों की नीलामी करेगा? – ई-उपहार
- भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा निर्माणाधीन दो उन्नत फ्रिगेट में से पहले का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? – त्रिपुत
- भारतीय सेना के दल की भागीदारी वाली एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहां आयोजित की जाएगी? – उलानबटार, मंगोलिया
- समुद्री अर्चिन को सब्जियां खिलाकर जापानी शोधकर्ता क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? – समुद्री शैवाल भंडार में गिरावट के प्रभाव को कम करना

## Face to Face Centres

